संचिका संख्या-12/प0क0(बजट)-01-06/11 ~ 01(12)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

/पटना, दिनांक- 8-5-12

विषयः-केन्द्र प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों में सृजित पदों का वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए कुल-3721393000/-(तीन अरब बहत्तर करोड़ तेरह लाख तीरानबे हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या 02(12) दिनांक 01.06.2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए किये गये अवधि विस्तार के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि केन्द्र प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं इसके अधीन विभिन्न सस्थानों में सृजित सभी पदों का वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए **कुल-3721393000/-(तीन अरब बहत्तर करोड़ तेरह लाख तीरानबे हजार)** रूपये मात्र (विवरणी संलग्न) के अनुमानित व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. यह शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका सम्पूर्ण व्यय भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है । इस चालू येाजना का नियमित अवधि विस्तार होता आ रहा है ।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगें तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र पर अंकित करेंगें ।

4. राशि का व्यय स्वीकृत बल के विरूद्ध वास्तविक रूप से कार्यरत बल तक ही सीमित रखा जायेगा तथा केन्द्र सरकार के मार्ग दर्शन के अनुरूप योजना को कार्यान्वित किया जायेगा । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगें । राशि जिस कार्य एवं उद्देश्य के लिए आवंटित की जायेगी, व्यय उसी आलोक में किया जाएगा । वर्दी एवं यात्रा भत्ता मद की राशि का व्यय स्वीकृत बल के विरूद्ध वास्तविक रूप से कार्यरत बल के अनुपात में किया जायेगा ।

5. मशीन उपकरण, कर-किराया, छात्रवृत्ति, सामग्री आपूर्तियां एवं कार्यालय व्यय मद की राशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा ।

6. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2211-परिवार कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-00-केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत संलग्न व्यय विवरणी में अंकित विभिन्न उप-शीर्ष/लघु शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

7. राशि का व्यय संबंधित बजट शीर्ष ईकाई के अधिसीमा के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.07 के आलोक में किया जायेगा ।

8. स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 379(9) दिनांक 16.08.02 के आलोक में सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए ही सामग्री एवं अन्य क्रय किया जायेगा ।

9. प्रशासी पदाधिकारी, राज्य प0क0 ब्यूरो, पटना, सचिवालय कोषांग/राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (शीत श्रृखंला सहित) एवं ऑफसेट प्रेस के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगें । जिला स्तर पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगें । एल0एच0भी0 तथा ए0एन0एम0 प्रशिक्षण विद्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदा0 होंगें । शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदा0 होगें तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं प0क0 प्रशिक्षण केन्द्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित केन्द्र के प्राचार्य होगें । नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार होगें ।

10. अवधि विस्तार के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

11. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या मं0मं0-01/आर0-02/2007-602 दिनांक 20.03.07 के कंडिका ग(2) के आलोक में अवधि विस्तार किया जा रहा है ।

12. यह मात्र अवधि विस्तार है, आवंटन अलग से दिया जायेगा ।

13. राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उपकोषागार से की जाएगी ।

विश्वासभाजन,

8/5/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 12/प0क0(ब0उ2/1-06)11-01(12)/पटना, दिनांक- 8-5-12 3.5.12

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार/उप कोषागार/सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन एवं विकास भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- वित्त विभाग/योजना विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- प्रशासी पदाधिकारी, राज्य प0क0 ब्यूरो, पटना/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं प0क0 प्रशिक्षण केन्द्र/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदा0/अपर मुख्य चि0पदा0/राज्य जिला आर0सी0एच0 पदा0 /जिला प्रसार एवं मिडिया पदा0/प्रभारी चिकित्सा पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, पटना के अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, 10, 12 आंतरिक अंकेक्षण एवं राज्य डेमोग्राफर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/5/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 12/प0क0(ब0उ2/1-06)11-01(12)/पटना, दिनांक 8-5-12 3.5.12

प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्रालय(प0क0 विभाग) भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/5/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

03/5/12

2211 – परिवार कल्याण – केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष बार व्यय का ब्यौरा का सारांश वित्तीय वर्ष 2012–2013

क0	लघु शीर्ष	उपशीर्ष	01 01 वेतन	01 02 विशेष वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	योग–वेतन एवं भत्ते	02 01 मजदूरी	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 04 विद्युत प्रभार	13 06 वर्दी/ पोशाक	14 01 किराया महसूल एवं कर	20 02 कान्फरेंस/ कार्यशाला/ सेमिनार	21 01 सामग्री एवं आपूर्तियां	34 01 छात्रवृत्ति/ वजीफा	13 03 दूरभाष	51 01 मोटर गाड़ी	52 01 मशीने एवं उपस्कर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	001	0601 निदेशन, विपत्र कोड C-2211000010601	462000	0	310000	92000	10000	5000	1000	**880000**	0	10000	2000	13000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	**908000**
2	001	0602–तक.परा.एवंपर्य. राज्य प.क.ब्यूरो, वि.कोड C–2211000010602	17740000	0	11886000	3548000	302000	193000	10000	**33679000**	0	330000	210000	1075000	0	60000	0	100000	550000	0	0	50000000	300000	**86304000**
3	001	0603 तक.परा.एवप.जिला प.क. ब्यूरो, विपत्र कोड C–2211000010603	150834000	88000	101059000	15083000	3086000	1613000	208000	**271971000**	0	3360000	1000000	2000000	2500000	300000	1000000	0	0	0	200000	0	1000000	**283331000**
4	003	0604–प्र.औरअनु. ए.एन.एम./एल.एच.भी. स्कूल, विपत्र कोड C- 2211000030604	70508000	438000	47240000	3932000	1459000	710000	89000	**124376000**	0	1480000	350000	1000000	600000	200000	1000000	0	0	10000000	0	0	225000	**139231000**
5	003	0605–प्र.एवं अनु.क्षे.स्वा. एंव प.क. प्रशिक्षण केन्द्र, विपत्र कोड C-2211000030605	13978000	0	9365000	1398000	285000	125000	82000	**25233000**	50000	260000	36000	180000	300000	30000	0	0	300000	0	0	0	0	**26389000**
6	004	0601 बहु.कार्य. का प्रशिक्षण एंव नियोजन, विपत्र कोड C-2211000040601	1031000	0	691000	103000	28000	14000	4000	**1871000**	0	30000	10000	30000	15000	4000	0	0	0	0	0	0	0	**1960000**
7	101	0602–स्वास्थ्य उपकेन्द्र, विपत्र कोड C-2211001010602	1707749000	0	1144192000	170775000	42600000	20448000	2556000	**3088320000**	0	42600000	0	0	18960000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	**3154880000**
8	102	0601 शहरी परि.कल्याण केन्द्र, विपत्र कोड C- 2211001020601	15302000	0	10252000	1530000	370000	144000	47000	**27645000**	0	300000	120000	180000	120000	25000	0	0	0	0	0	0	0	**28390000**
		कुल योग	**1977604000**	**526000**	**1324995000**	**196461000**	**48140000**	**23252000**	**2997000**	**3573975000**	**50000**	**48370000**	**1728000**	**4478000**	**22495000**	**5622000**	**2000000**	**100000**	**850000**	**10000000**	**200000**	**50000000**	**1525000**	**3721393000**

कुल योग–(तीन अरब बहत्तर करोड़ तेरह लाख तीरानबे हजार) रूपये मात्र ।

01(12)
8-5-12

8/5/2012.
सरकार के संयुक्त सचिव ।

8/5/12